UPHR070100762023 मूल वाद सं०-80/2012

ग्राम न्यायालय वाद सं०-1677/2023

न्यायालय न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सण्डीला, हरदोई।

पीठासीन अधिकारी - राकेश चौरसिया (J.O. Code – UP3622)

राजकिशोर पुत्र भारत, निवासी ग्राम हरचन्दापुर मजरा कलौली, परगना बालामऊ, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई।----------**वादी**

बनाम

रामशंकर आदि, निवासी ग्राम कलौली, परगना बालामऊ, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई।----------**प्रतिवादी**

निर्णय

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सार्वजनिक गलियारा भूमि अक्षरांकित क,ख,च पर निर्माण कर अवरुद्ध करने, इसमें किसी प्रकार आवागमन बाधित करने से; विवादित भूमि अ,ब,स,द में स्थित नीम का पेड़ काटने, इसमें से वादी कण्डा बठिया फेंकने, इसमें कब्जा करने, इसका वादी को शांतिपूर्वक उपयोग करने में बाधा करने से प्रतिवादी को रोकने के लिए शाश्वत निषेधाज्ञा, तथा उक्त गलियारे में प्रतिवादी द्वारा निर्मित दीवार अक्षरांकित क,ख को हटाने हेतु आज्ञापक निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया।

2. वादपत्र के अनुसार वादी अपने पूर्वजों के समय से ग्राम हरचन्दापुर मजरा कलौली, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई स्थित विवादित अहाते/घेरे (बिन्दु अ, ब, स, द) व उसमें स्थित मकान का स्वामी, काबिज व दाखिल है और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 6 व 9 के अन्तर्गत उसमें भूमिधरी अधिकार निहित हो चुका है। वादी का मुख्य अभिकथन यह है कि उसके मकान के दक्षिण में लगभग 14 फीट चौड़ा एक पुराना सार्वजनिक खड़ंजा गलियारा स्थित है, जिसका उपयोग सम्पूर्ण ग्रामवासी सदैव से आवागमन व वाहनों के निकास हेतु करते चले आ रहे हैं। वादी का आरोप है कि फरवरी 2012 के प्रथम सप्ताह में उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादी ने उक्त सार्वजनिक रास्ते में जबरन लगभग 5 फीट ऊंची दीवार (बिन्दु क-ख) खड़ी कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया तथा उसे अपने सहन में मिलाने का प्रयास किया, और साथ ही वादी के निजी अहाते में स्थित नीम के वृक्ष को काटकर तथा कण्डा-बठिया फेंककर वादी को वहां से बेदखल करने की धमकी दी।

3. **लिखित कथन** :- प्रतिवादी की ओर से प्रतिवाद-पत्र दाखिल कर वादी के उपर्युक्त समस्त अभिकथनों, सीमाओं तथा संलग्न नजरी नक्शे को काल्पनिक, असत्य व दुर्भावनापूर्ण बताते हुए अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादी का मुख्य कथन यह है कि वादी के मकान के दक्षिण में मौके पर कभी कोई 14 फीट चौड़ा सार्वजनिक रास्ता अथवा खड़ंजा विद्यमान नहीं रहा है और न ही विवादित भूमि पर कोई नीम का वृक्ष कभी रहा है। प्रतिवादी के अनुसार विवादित अहाता (अ, ब, स, द) वस्तुतः उसके

Digitally signed by RAKESH CHAURASIA
Date: 2026.08.31 15:23:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपने पूर्वजों के समय से उसकी निजी सहन भूमि व गोण्डे के रूप में उसके अनन्य कब्जे व उपयोग में रहा है। वादी जिस दीवार को नवनिर्मित व 5 फीट ऊंची बता रहा है, वह वास्तव में प्रतिवादी की स्वयं की लगभग 10 फीट ऊंची पुरानी दीवार है, जिस पर उसका छप्पर व शौचालय निर्मित है। प्रतिवादी ने यह तकनीकी आपत्ति भी उठाई कि वाद का मूल्यांकन न्यून है, प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है, तथा वादी स्वत्व की घोषणा कराए बिना केवल निषेधाज्ञा के आवरण में प्रतिवादी की भूमि हड़पना चाहता है, अतः प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं है।

4. **विचारणीय बिन्दु** :- उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2013 को निम्नलिखित वाद-बिन्दु विरचित किए गए :-

   1. क्या वादी वादपत्र में वर्णित विवादित सम्पत्ति के काबिज व दाखिल हैं ?
   2. क्या वादी विवादित दीवाल को हटवा पाने का अधिकारी है ?
   3. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?
   4. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?
   5. क्या वादी को वाद कारण प्राप्त नहीं हुआ ?
   6. वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है ?

5. **साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण :-** वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.-1 राजकिशोर (वादी स्वयं) तथा पी.डब्लू.-2 पुत्तूलाल (स्वतंत्र साक्षी) का मुख्य परीक्षा व जिरह हुई। प्रलेखीय साक्ष्य में वादी की ओर से राशनकार्ड (कागज सं. 14 ग), किसान बही (कागज सं. 15 ग), समाचार-पत्र में प्रकाशित इश्तहार (कागज सं. 29 ग), तथा धारा 133 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, सण्डीला के न्यायालय में चली कार्यवाही से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र, बयान-तहरीर व पुलिस रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां (कागज सं. 55 ग/2, 55 ग/4, 49 ग/2) दाखिल की गईं। इसके विपरीत, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी की ओर से अपने प्रतिवाद-कथनों के समर्थन में न तो कोई मौखिक साक्षी परीक्षित कराया गया और न ही कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

6. विवादित स्थल का कमीशन आख्या मय नक्शा कागज सं. १८क२ आदेश दिनांकित ०४-०४-२०१३ द्वारा साक्ष्यधीन पुष्ट किया गया।

बिन्दु वार निर्णय तथा कारण:-

7. वाद-बिन्दु संख्या 3 व 4 का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दिनांक 17.08.2013 को किया जा चुका है और तद्नुसार दोनों वाद-बिन्दु वादी के पक्ष में (अर्थात् वाद का मूल्यांकन उचित तथा न्यायशुल्क पर्याप्त पाया गया) विनिश्चित हो चुके हैं। अतः वर्तमान निर्णय में केवल वाद-बिन्दु संख्या 1, 2, 5 व 6 पर ही गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना शेष है।

8. **वाद बिन्दु संख्या १** – वादी के वाद पत्र नक्शा नजरी में गलियारा के दक्षिण दर्शित भूमि अक्षरांकित अ,ब,स,द को अपना गोण्डा बताते हुए विवादित भूमि बताया है। कमीशन नक्शा १८क२ में उक्त विवादित भूमि को अक्षर जी,ई२,के,एल अक्षर से दर्शाया गया है जिसके दक्षिण रामचरन, श्रीराम, मिश्रीलाल का होना कहा गया है, उत्तर तरफ सार्वजनिक गलियारा तथा पूरब में खाली भूमि तथा बाद खाली भूमि प्रतिवादी के मकान को दर्शाया गया है, सार्वजनिक गलियारा के सटे उत्तर महिपाल

पासी का घर दर्शाया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि यह भूमि वादी के मकान या सहन के सटे नहीं है। कमीशन आख्या अनुसार इस भूमि पर कोई दीवार नहीं पाई गई है। वादी ने इस भूमि पर अपने पूर्वजों का जुलाई १९५२ से कब्जा होने का दावा किया है परन्तु इसे सिद्ध करने हेतु कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त जब वादी के स्वयं के नक्शा नजरी में वादी का मकान उक्त विवादित भूमि के उत्तरी पूर्वी कोने पर दिखाया गया है जिसका निकास पूरब तरफ एवं उसी के सटे सहन दिखाया गया है तो ऐसे में उक्त मकान एवं सहन से उल्टी दिशा में तथा थोड़ी दूरी पर स्थित भूमि पर वादी का कब्जा कैसे हो सकता है जो कि प्रतिवादी के सहन के सटे पश्चिम दिखाया गया है। अतः वादी उक्त विवादित भूमि अ,ब,स,द पर अपना कब्जा सिद्ध करने में विफल रहा है जिस कारण वाद बिन्दु सं. १ वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

9. वाद-बिन्दु संख्या २ व ५ : सार्वजनिक गलियारा का अस्तित्व, गलियारा में बना दीवार एवं वाद-कारण

9.1. सार्वजनिक गलियारे (रास्ते) का अस्तित्व

वादी का दावा - वादी के वाद पत्र तथा नक्शा नजरी में वादी के मकान के दक्षिण तथा प्रतिवादी के मकान के उत्तर के मध्य सार्वजनिक गलियारा बताया व अक्षर क,ख,ब,च से दर्शाया गया है जिसमें कुछ भाग तक खड़ंजा लगा हुआ है। कमीशन नक्शा १८क२ में इसी गलियारे को अक्षर एच, एफ, ए, सी, बी, डी, ई, जी से दर्शाया गया है।

वादी का पक्ष (पी**.**डब्लू**.-**१ तथा पी**.**डब्लू**.** २**):** दोनों गवाहों ने दृढ़ता से पुष्टि किया है कि वादी के मकान के दक्षिण में १४-१५ फीट चौड़ा पुराना सार्वजनिक गलियारा हमेशा से मौजूद रहा है। पूर्व प्रधान (पी**.**डब्लू**.** २) ने प्रमाणित किया कि यह रास्ता ग्राम सभा द्वारा लगवाए गए खड़ंजे से होते हुए मुख्य गौसगंज डामर रोड में मिलता है, और गाँव के लोग, ट्रैक्टर-ट्रॉली व मवेशी इसी रास्ते से निकलते हैं। वादी के मकान का एक दरवाजा इसी रास्ते की ओर खुलता है।

प्रतिवादी का प्रति-तर्क: प्रतिवादी का दावा है कि वहां कभी कोई रास्ता या गलियारा नहीं था; वह भूमि उसकी निजी सहन भूमि है। हालांकि, जिरह में प्रतिवादी की इस बात का खंडन हुआ क्योंकि दोनों गवाहों ने रास्ते की सटीक भौगोलिक स्थिति और निकास को साबित किया है।

कमीशन आख्या कागज सं. १८क२ में सार्वजनिक गलियारा को वादी के मकान के दक्षिण तथा प्रतिवादी के मकान के उत्तर अक्षर एच, एफ, ए, सी, बी, डी, ई, जी से दर्शाया है जिसके पश्चिमी अंश बिन्दु जी, एच तक खड़ंजा का बिछा होना बताया है। इस गलियारा के सटे उत्तर अन्य व्यक्तियों के मकान भी दर्शाए गए हैं जैसे महिपाल पासी, बालक पासी तथा बालकृष्ण के।

उपर्युक्त साक्ष्य एवं मौके की स्थिति से स्पष्ट होता है वादी के मकान के दक्षिण तथा प्रतिवादी के मकान के उत्तर के मध्य कमीशन नक्शा १८क२ में अक्षर एच, एफ, ए, सी, बी, डी, ई, जी दर्शित गलियारा सार्वजनिक प्रकृति का है जिस पर खड़ंजा भी लगा है।

9.2. **विवादित दीवार (क-ख) की प्रकृति और निर्माण**

वादी का दावा - वादी के वाद पत्र तथा नक्शा नजरी में वादी ने सार्वजनिक गलियारा के पूर्वी भाग की तरफ प्रतिवादी द्वारा नया दीवार अक्षरांकित क,ख का बना होना बताया व दर्शाया है जिससे वादी को उक्त गलियारा से आवागमन में बाधा हो रही है।

वादी का पक्ष (पी**.**डब्लू**.** १ व पी.डब्लू. २)**:** वादी (पी**.**डब्लू**.-**१) के अनुसार, फरवरी २०१२ के प्रथम सप्ताह में उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवादी ने दबंगई से रास्ता रोकने के लिए लगभग ५ फीट ऊंची नई दीवार खड़ी कर दी। स्वतंत्र साक्षी (पी**.**डब्लू**.-**२) ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि करीब पौने दो साल पहले प्रतिवादी ने वादी के दरवाजे के सामने दीवार उठाकर रास्ता बंद कर दिया है।

पी.डब्लू.-2 (पूर्व ग्राम-प्रधान) के साक्ष्य से यह भी प्रमाणित होता है कि विवादित गलियारे के पश्चिमी मोड़ तक राज्य सरकार की किसी योजनान्तर्गत ग्राम सभा द्वारा पक्का खड़ंजा लगवाया गया था और गांव के निवासी, कृषि वाहन तथा ट्रैक्टर-ट्रॉली इसी रास्ते से होकर मुख्य गौसगंज डामर रोड तक आते-जाते हैं। यह साक्ष्य रास्ते के सार्वजनिक चरित्र को स्थापित करता है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक मार्ग अथवा गलियारे पर अतिक्रमण कर उसे अपनी निजी भूमि में सम्मिलित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, और ऐसा अतिक्रमण न्यूसेंस की कोटि में आता है, जिसके विरुद्ध प्रभावित व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 तथा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 व 39 के अन्तर्गत वाद ला सकता है, विशेषतः जब, जैसा कि प्रस्तुत मामले में है, वादी को इस अतिक्रमण से अपने घर के दक्षिणी द्वार से आवागमन में विशेष क्षति भी कारित हो रही हो। ऐसी स्थिति में ग्राम सभा के ना होने से वाद निस्तारण तथा प्रभावी आदेश पारित करने में कोई बाधा नहीं होती है।

कमीशन आख्या कागज सं. १८क२ में सार्वजनिक गलियारा अक्षरांकित एच, एफ, ए, सी, बी, डी, ई, जी से दर्शाया है जिसमें पूर्वी तरफ वादी के मकान के दक्षिण ओर सी.डी. अक्षर से दर्शित नई पक्की दीवार सतह से ५ फीट ६ ईंच ऊँचाई तक बना बताया गया है और प्रतिवादी द्वारा बनाया गया बताया गया है। यह उल्लेखनीय है कि यह कमीशन वाद दिनांक १३-०२-२०१२ को दाखिल करने २१ दिन बाद ही किया गया जो कि दीवार की सही स्थिति बताने के सम्बन्ध में विश्वसनीय परिलक्षित होता है। वादी का बयान कमीशन आख्या को समर्थित करता है।

इसके अतिरिक्त, वादी द्वारा प्रस्तुत धारा 133 दं0 प्र 0 सं. की कार्यवाही सम्बन्धी प्रलेख (कागज सं. 55 ग/2, 55 ग/4, 49 ग/2) यह प्रमाणित करते हैं कि रास्ते को लेकर उभयपक्षों में विवाद पूर्व से ही उपजिलाधिकारी, सण्डीला के समक्ष विचाराधीन रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी को प्रतिवादी के कृत्यों से वास्तविक व सतत वाद-कारण प्राप्त हुआ है, न कि कोई काल्पनिक अथवा असंगत वाद-कारण।

प्रतिवादी का प्रति-तर्क: प्रतिवादी का यह कथन कि विवादित दीवार 10 फीट ऊंची, पुरानी है तथा उस पर उसका छप्पर व शौचालय निर्मित है, पी.डब्लू.-1 की जिरह में पूर्णतः खण्डित हो जाता है। वादी ने स्पष्ट व सुसंगत रूप से कथन किया कि दीवार लगभग 5-6 फीट ऊंची, नवनिर्मित है, उस पर कोई छप्पर नहीं है, तथा प्रतिवादी के मकान का दरवाजा इस दीवार से 4-5 फीट दूर उत्तर दिशा की ओर खुलता है — जो प्रतिवादी के इस दावे के सर्वथा विपरीत है कि दीवार उसके घर की अभिन्न व पुरानी संरचना है। प्रतिवादी के उक्त कथन का खण्डन कमीशन आख्या से भी होता है।

उपर्युक्त साक्ष्य के आलोक में यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने फरवरी 2012 में वादी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर सार्वजनिक गलियारे की भूमि पर अवैध रूप से दीवार (क-ख) खड़ी कर मार्ग अवरुद्ध किया है। प्रतिवादी अपने इस कथन को, कि दीवार उसकी पुरानी व वैध संरचना है, किसी स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थित नहीं कर सका। अतः वादी उक्त अवैध निर्माण को हटवाकर सार्वजनिक रास्ते को यथावत बहाल कराने का पूर्ण अधिकारी है। इसके साथ ही प्रस्तुत वाद योजित करने के वाद हेतुक के होने की पुष्टि होती है। परिणामतः वाद बिन्दु सं. २ तथा ५ सकारात्मक रुप से उत्तरित किया जाता है।

10. **वाद-बिन्दु संख्या 6 : अन्य अनुतोष :-**चूंकि वाद-बिन्दु संख्या 2 व 5 वादी के पक्ष में विनिश्चित किए जा चुके हैं और यह भी सिद्ध हो चुका है कि प्रतिवादी ने सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर अतिक्रमण का प्रयास कर वादी के शांतिपूर्ण उपभोग में बाधा उत्पन्न की है, अतः न्याय, साम्या व सद्विवेक के हित में वादी वाद में मांगे गए मुख्य अनुतोषों के अतिरिक्त वाद-व्यय प्राप्त करने का भी अधिकारी है। कोई अन्य विशेष अनुतोष अभिलेख पर प्रमाणित तथ्यों से उद्भूत नहीं होता।

11. **निष्कर्ष-** उपर्युक्त विवेचना के फलस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादी ने सम्भावनाओं की प्रबलता के आधार पर यह सिद्ध किया है कि कमीशन आख्या कागज सं. १८क२ अनुसार वादी के मकान के दक्षिण तथा प्रतिवादी के मकान के उत्तर के मध्य सार्वजनिक गलियारा अक्षरांकित एच, एफ, ए, सी, बी, डी, ई, जी है जिसमें प्रतिवादी ने दीवार सी,डी का अवैध निर्माण किया है जिसे हटवाने का वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध अधिकार है।

आदेश

i. मूल वाद सं. ८०/२०१२/ग्राम न्यायालय वाद सं. १६७७/२०२३– राजकिशोर बनाम रामशंकर आंशिक रुप आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिवादी रामशंकर को स्थाई रूप से कमीशन आख्या कागज सं. १८क२ में दर्शित सार्वजनिक गलियारा अक्षरांकित एच, एफ, ए, सी, बी, डी, ई, जी में किसी प्रकार अतिक्रमण, निर्माण अथवा हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाता है।

ii. प्रतिवादी रामशंकर को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय एवं डिक्री की तिथि से दो (02) माह की अवधि के भीतर कमीशन आख्या कागज सं. १८क२ में दर्शित सार्वजनिक गलियारा अक्षरांकित एच, एफ, ए, सी, बी, डी, ई, जी में निर्मीत अवैध दीवार सी,डी को अपने व्यय पर हटाकर मार्ग को साफ व यथावत बहाल

करें। यदि प्रतिवादी उक्त नियत अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो वादी को यह अधिकार होगा कि वह न्यायालय के माध्यम से प्रतिवादी के व्यय पर उक्त अवरोध हटवाकर सार्वजनिक रास्ता खुलवा सके।

iii. वाद-व्यय वादी को प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

iv. तद्नुसार पत्रावली के अनुसार विस्तृत डिक्री तैयार की जाए तथा नियमानुसार पक्षकारों को सूचित किया जाए।

दिनांक-21-08-2026

(राकेश चौरसिया)
J.O.Code - UP3622
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
सण्डीला, हरदोई।

उपर्युक्त निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक-21-08-2026

(राकेश चौरसिया)
J.O.Code - UP3622
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
सण्डीला, हरदोई।